**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1371**

**जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2022 को दिया जाना है**

**कोयला खदान कामगारों को सुविधाएं**

**1371 .डॉ. सुभाष रामराव भामरे:**
**श्री सी.एन. अन्नादुरई:**
**डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**
**श्री गौतम सिगामणि पोन:**
**श्रीमती मंजुलता मंडल:**
**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**
**श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:**
**श्री गजानन कीर्तिकर:**
**श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**
**श्री जी. सेल्वम:**
**श्री धनुष एम.कुमार:**
**डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:**
**श्री कुलदीप राय शर्मा:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क (देश भर में विभिन्न राज्यों के स्वामित्व वाली कोयला खदानों में कार्यरत कोयला खदान श्रमिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख (देश भर में इन कामगारों को प्रदान की जा रही सुरक्षा सुविधाओं सहित अन्य सभी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला खदानों में मजदूरों/श्रमिकों को हो रही समस्याओं / कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को वर्तमान में कुछ राज्यों की खानों में सुरक्षा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने खनन के समय गंभीर खतरे की स्थिति में काम करने वाले कोयला खदान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उनकी स्थिति के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

**(क) :** दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्थित सीआईएल की सहायक कंपनियों में कार्यरत गैर-कार्यकारी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है:

| सहायक कंपनी | राज्य | कर्मचारियों की संख्या (गैर-कार्यकारी) |
|---|---|---|
| ईसीएल | झारखंड | 7283 |
| | पश्चिम बंगाल | 44274 |
| बीसीसीएल | झारखंड | 36381 |
| | पश्चिम बंगाल | 1271 |
| सीसीएल | झारखंड | 33899 |
| डब्ल्यूसीएल | मध्य प्रदेश | 8309 |
| | महाराष्ट्र | 25702 |
| एसईसीएल | छत्तीसगढ़ | 28246 |
| | मध्य प्रदेश | 14026 |
| | पश्चिम बंगाल | 174 |
| एमसीएल | ओडिशा | 20212 |
| एनसीएल | मध्य प्रदेश | 7487 |
| | उत्तर प्रदेश | 5332 |
| एनईसी | दिल्ली | 1 |
| | झारखंड | 1 |
| | पश्चिम बंगाल | 3 |
| | असम | 746 |
| | मेघालय | 8 |
| सीएमपीडीआई | छत्तीसगढ़ | 457 |
| | झारखंड | 826 |
| | महाराष्ट्र | 272 |
| | मध्य प्रदेश | 178 |
| | ओडिशा | 243 |
| | पश्चिम बंगाल | 227 |
| सीआईएल (मुख्यालय) | दिल्ली | 44 |
| | महाराष्ट्र | 3 |
| | तमिलनाडु | 1 |
| | पश्चिम बंगाल | 284 |
| **सीआईएल कुल** | | **235890** |
| **एससीसीएल (31.1.2022 की स्थिति के अनुसार)** | | **43299** |
| **एनएलसी इंडिया लिमिटेड*** | | **188** |

* ओडिशा में तालाबीरा II और III कोयला खान के संबंध में

**(ख):** सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में खान सुरक्षा के लिए कोयला खान के कामगारों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं : -

- कार्य-विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार कार्मिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे खनन जूते, गमबूट, हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा हार्नेस / सुरक्षा हुक, हाथ के दस्ताने, सुरक्षात्मक चश्मे, ईयर मफ, स्वपूर्ण श्वास उपकरण (बचाव कामगारों के लिए) आदि।
- भूमिगत (यूजी) खानों में व्यक्तिगत कैप लैंप।
- यूजी खानों में पर्याप्त वेंटिलेशन।
- कोयला खान के भूमिगत कार्य के लिए छत और किनारे पर पर्याप्त सहायता।
- यूजी खानों में ज्वलनशील और हानिकारक गैसों का शीघ्र पता लगाने के लिए गैस का पता लगाने वाला उपकरण।
- पर्याप्त योग्य पर्यवेक्षी स्टाफ।
- कार्य विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
- विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और खान स्टेशन।
- खानों में उपयोग की जाने वाली सुविधाजनक रूप से डिज़ाइन की गई मशीनें।
- खानों में पर्याप्त रोशनी और पानी के छिड़काव की व्यवस्था।

सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं के अलावा, कामगारों और उनके परिवारों को आवास, जलापूर्ति, शिक्षा, छात्रवृत्ति योजना, वित्तीय सहायता, चिकित्सा सुविधाएं, सांविधिक और गैर-सांविधिक सुविधाओं जैसी निम्नलिखित कल्याण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

एससीसीएल में कोयला खान कामगारों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं: -

- पर्यवेक्षकों सहित सभी कामगारों को प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है।
- कर्मचारियों को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे सेफ्टी हेलमेट, माइनर्स शूज, गॉगल्स, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस, एप्रन, माइनर्स कैप लैंप, वेल्डर्स फेस शील्ड, ईयर प्लग और ईयर मफ, डस्ट रेस्पिरेटर, सेल्फ रेस्क्यूअर, सेफ्टी लैंप आर्क फ्लैश सूट और गैस मॉनिटर आदि प्रदान किए जाते हैं।
- सभी खान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (एमवीटीसी), भूमिगत मशीनीकरण तकनीकी संस्थान (यूएमटीआई) और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र (टीटीसी) में सभी कर्मचारियों, तकनीशियनों और पर्यवेक्षकों को बेहतर कौशल प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

- भूमिगत खानों में, कार्यशील जिलों के पास और सतह पर टेलीफोन संचार स्थापित किया गया है। सभी ओपनकास्ट खानों में सभी कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और सक्षम व्यक्तियों को वायरलेस संचार प्रदान किया जाता है।

- भूमिगत खानों में रूफ और साइड फॉल्स को कम करने के लिए मूल आवश्यकता संभावित खतरनाक, सक्रिय, मूविंग कोल फेसिस और डिपिलरिंग क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या को कम करना है। इसलिए, मैनुअल माइनिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया है और फेस पर व्यक्तियों की उपस्थिति को कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एसडीएल, एलएचडी और सतत खनिकों के साथ अर्ध-मशीनीकरण शुरू किया गया है।

- रेजिन ग्राउटिंग के साथ मशीनीकृत रूफ बोल्टिंग को भूमिगत खानों में सभी सक्रिय कार्यरत फेसों में प्राथमिक सपोर्ट के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

- सभी भूमिगत खानों में कामगारों और पर्यवेक्षकों को कठिन यात्रा से बचाने के लिए चेयर लिफ्ट, चेयर कार, और मैन वाइंडिंग जैसी मैन राइडिंग प्रणाली प्रदान की जाती है।

- वैज्ञानिक संस्थानों जैसे सीआईएमएफआर, एनआईआरएम आदि की सेवाओं का उपयोग पैनलों के डिजाइन तैयार करने और प्रभावी स्ट्राटा प्रबंधन प्रणाली के लिए किया जा रहा है।

- मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा तकनीशियनों और प्रचालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

- खान अधिकारियों के साथ एक समिति का गठन करके नियमित आधार पर मानसून संबंधी सावधानियों, हॉल रोड सुरक्षा, हॉलेज आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए सुरक्षा जांच की जा रही है।

- द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय बैठकों, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति की बैठकों, सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के संबंध में उनके सुझाव आमंत्रित करते हुए और उनके सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए खान समिति की बैठकों में कामगारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी।

- खानों के बचाव और रिकवरी कार्य में प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए बचाव केन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्रतिक्रिया समय को कम करने और विश्वसनीयता में सुधार के लिए, नवीनतम पीढ़ी के उपकरण से पूरी तरह लैस नए आपातकालीन बचाव वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

- किसी भी स्थिति में कोई भी आपातकालीन स्थिति होने पर बचाव दल को बनाए रखना। इन बचाव केंद्रों में अत्याधुनिक उपकरण श्वसन उपकरण, हाइड्रोलिक जैक और कटर, न्यूमैटिक लिफ्टिंग बैग आदि हैं।

- ओएचएस- एससीसीएल में कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलनों में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण करने के लिए 10 व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचएस) हैं।

- सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशों के अनुसार कामगारों सहित कर्मचारियों की प्रारंभिक चिकित्सा जांच (आईएमई), आवधिक चिकित्सा जांच (पीएमई) आयोजित की जा रही है। सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति से पहले आईएमई और उसके बाद प्रत्येक 5 साल में एक बार पीएमई की जा रही है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के लिए पीएमई प्रत्येक ढाई साल में एक बार की जा रही है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में, कोयला खान के कामगारों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं : -

- श्रमिकों/कामगारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई), सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, कैंटीन सुविधा, समय-समय पर चिकित्सा जांच, एम्बुलेंस सुविधा आदि प्रदान की जाती हैं।

- वीटीसी (व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) अर्थात खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए श्रमिकों/कामगारों को बुनियादी प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना।

- सभी श्रमिकों/कामगारों को लागू सरकारी वेतन।

- कामगार बीमा प्रदान कर एवं भविष्य निधि एवं पेंशन आदि में अंशदान देकर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा।

**(ग):** सीआईएल में, कोयला खनन खान की भू-खनन स्थिति, विभिन्न खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले परिचालन खतरों और कठिन कार्यकारी परिस्थितियों के कारण व्यावसायिक खतरों के लिए जिम्मेदार विभिन्न अंतर्निहित खतरों की उपस्थिति के कारण, कई समस्याओं/खतरों से घिरा हुआ है, जिसे पूरी तरह टाला नहीं जा सकता।

एससीसीएल में, कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को लंबी यात्रा, ढाल के साथ चलने, गर्म और आर्द्र पर्यावरणीय परिस्थितियों, धूल भरे वातावरण आदि की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को मैनराइडिंग सिस्टम प्रदान करके, आवश्यकतानुसार एयर चिलिंग प्लान सहित कार्यस्थलों में प्रभावी वेंटिलेशन प्रदान करके, प्रभावी जल छिड़काव की व्यवस्था करके और धूल मास्क, संलग्न केबिन आदि प्रदान करके कम किया जाता है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तालाबीरा II और III ओसीपी में श्रमिकों/कामगारों को किसी भी समस्या/कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

**(घ):** सीआईएल में, जब भी डीजीएमएस अधिकारियों, भारत में खान सुरक्षा के लिए विनियामक प्राधिकरण या कानून के तहत गठित कामगार निरीक्षक (ओं) या खान की सुरक्षा समिति द्वारा खान सुरक्षा के संबंध में कानूनों के तहत निर्धारित विभिन्न प्रावधानों का

उल्लंघन होने पर, निरीक्षण के दौरान कोई अवलोकन किया जाता है, तो आवश्यक उपचारात्मक उपाय, जैसा भी उपयुक्त हो, किया जाता है और अनुपालन निर्धारित समय के भीतर संप्रेषित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, किसी भी आम व्यक्ति या संवैधानिक निकायों के सदस्य या ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि (यों) या किसी कर्मचारी से खान स्तर या क्षेत्रीय स्तर या सहायक कंपनी मुख्यालय स्तर या सीआईएल स्तर पर प्रबंधन द्वारा प्राप्त कोई भी शिकायत खान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई, जैसा उचित समझा जाए, की जाती है और इसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जाती है।

एससीसीएल सुरक्षा के संबंध में सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। एससीसीएल/डीजीएमएस अधिकारी के निरीक्षण के दौरान पाए गए किसी भी उल्लंघन को जल्द से जल्द ठीक किया जा रहा है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तालाबीरा II और III ओसीपी में श्रमिकों/कामगारों से सुरक्षा दिशानिर्देश का उल्लंघन होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

**(ड.) और (च):** सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के गैर-कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए जा रहे हैं:

- कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु : किसी कर्मचारी की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर उसके निकटतम संबंधी को 15 लाख ₹ की राशि का भुगतान किया जाता है।
- खान दुर्घटना में हुई मृत्यु : घातक खान दुर्घटना में किसी कर्मचारी के निकटतम संबंधी को 15 लाख ₹ की राशि का भुगतान किया जाता है।
- जीवन बीमा योजना : जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 1,25,000/- ₹ तक की राशि का भुगतान किया जाता है।
- कामगार मुआवजा लाभ : कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कर्मचारी स्वीकार्य लाभों के हकदार हैं।
- अनुग्रह राशि : कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अलावा, मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांग होने पर अतिरिक्त 90,000 ₹ का भुगतान किया जाता है।
- ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत पात्रता के अनुसार 20 लाख ₹ तक।
- सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कर्मचारियों और कंपनी दोनों द्वारा समान शेयरों के साथ कवर किया जाता है।
- कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के तहत अंशदायी पेंशन।
- गैर-कार्यपालकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना।

सीआईएल ने कोयला खान कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खानों के सुरक्षा मानकों में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं ताकि श्रमिकों को कोई खतरा न हो: -

- खान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लागू कानूनों के तहत किए गए सभी प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सभी खानों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा, खानों में काम करने के लिए डीजीएमएस अनुमति में उल्लिखित निर्धारित शर्तों का भी अनुपालन किया जाता है।

- सुरक्षा से संबंधित मामलों में विभिन्न स्तरों पर लाइन प्रबंधन की सहायता के लिए प्रत्येक सहायक कंपनी में बहु-विषयक आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) स्थापित किए जाते हैं।

- सक्रिय कामगारों की भागीदारी के साथ विभिन्न स्तरों पर स्थापित सुरक्षा निगरानी कार्य तंत्र।

उपरोक्त के अलावा, खानों के सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सीआईएल द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं: -

- जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं (एसएमपी)।

- सभी खनन कार्यों के लिए साइट-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)।

- प्रत्येक वर्ष में खान की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए खानों की सुरक्षा जांच।

- सभी खानों के विभिन्न सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी प्रणाली अर्थात् "सीआईएल सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस)" विकसित की गई है।

स्ट्राटा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक कार्यतंत्र को अपनाना जैसे: -

- वैज्ञानिक रूप से निर्धारित रॉक मास रेटिंग (आरएमआर) आधारित सपोर्ट सिस्टम।

- स्ट्राटा सपोर्ट सिस्टम की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए स्ट्राटा कंट्रोल सेल।

- रूफ बोल्टिंग के लिए मशीनीकृत ड्रिलिंग का उपयोग करके रूफ बोल्टिंग।

- रूफ बोल्ट की ग्राउटिंग के लिए रेजिन कैप्सूल और सीमेंट कैप्सूल के आवश्यकता आधारित उपयोग और आधुनिक स्ट्राटा मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स / उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है।

- कर्मचारियों और फ्रंट लाइन खान अधिकारियों को सपोर्ट देने के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करना।

खान पर्यावरण की निगरानी के लिए कार्यतंत्र:

- उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके खान गैसों का पता लगाना।

- इनवायरनमेंटल टेली मॉनीटरिंग सिस्टम (ईटीएमएस) और लोकल मीथेन डिटेक्टर (एलएमडी) आदि का आवश्यकता आधारित अनुप्रयोग।

- बेहतर सटीकता के साथ त्वरित खान वायु नमूना विश्लेषण के लिए गैस क्रोमैटोग्राफ।
- कार्य क्षेत्र में धूल की सघनता को मापने के पर्सनल डस्ट सैंपलर(पीडीएस)।
- सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) का उपयोग बड़े ओसीपी में एमबिएंट डस्ट कंसेन्ट्रेशन का आकलन करने के लिए किया जाता है।

खान सुरक्षा पर प्रशिक्षण और सुरक्षा जागरुकता अभियान:

- क़ानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण।
- एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
- विभिन्न विषयों पर निरंतर रुप से फ्रंट लाइन खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन।
- सुरक्षा समितियों के सदस्यों और ठेका कामगारों सहित सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरुक बनाना।
- सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर वीडियो क्लिप और एनिमेशन फिल्में तैयार की जाती हैं। सुरक्षा जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए इन वीडियो क्लिप / एनिमेशन फिल्मों को कर्मचारियों के बीच साझा किया जाता है।

ओसी खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय:-

- ब्लास्ट फ्री माइनिंग के लिए इको-फ्रेंडली सरफेस माइनर्स का उपयोग और कोयले की ब्लास्टिंग से जुड़े जोखिमों से बचाव।
- प्रत्येक खान में खान-विशिष्ट ट्रैफिक नियम।
- सांविधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के अलावा एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
- सभी कार्य स्थलों एवं हॉल रोड पर रोशनी की व्यवस्था।
- प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइसेज, रियर व्यू मिरर और कैमरा, ऑडियो-विजुअल अलार्म (एवीए), ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम आदि जैसे विभिन्न सुरक्षा उपकरणों से लैस डंपर।
- ऑपरेटरों के आराम के लिए सुविधाजनक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें और एसी केबिन।

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनी खानों और कार्यस्थलों पर सभी सांविधिक और गैर-सांविधिक कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है उदाहरण के लिए कैंटीन, विश्राम घर, पेयजल सुविधा (कूलर-सह-वॉटर प्यूरीफायर), अस्पताल/औषधालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पुरुष और महिला कामगारों के लिए अलग-अलग शौचालय आदि की व्यवस्था।

इसके अलावा संगठन के प्रत्येक स्तर पर शिकायत निवारण निकाय हैं: यथा कामगारों की चिंताओं को दूर करने और इनकी समय पर समीक्षा करने तथा कल्याणकारी सुविधाओं/प्रावधानों के उन्नयन के लिए भी संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीसी), कल्याण बोर्ड, क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति (एसीसी), क्षेत्रीय कल्याण समिति आदि।

एससीसीएल में, भारतीय कोयला खान सुरक्षा कानून व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) सुनिश्चित करने के लिए सबसे व्यापक और व्यापक सांविधिक ढांचे में से एक है। इन सुरक्षा कानूनों का अनुपालन अनिवार्य है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में, तालाबीरा II और III कोयला खान एक ओपनकास्ट खान है और खनन के समय कोई भी खान श्रमिक/कामगार गंभीर खतरे के संपर्क में नहीं आता है। श्रमिकों/कामगारों की स्थिति में सुधार के लिए एनएलसीआईएल द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं: -

1. श्रमिकों/कामगारों को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई), सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, कैंटीन सुविधा, समय-समय पर चिकित्सा जांच, एम्बुलेंस सुविधा इत्यादि प्रदान करने जैसी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना।

2. खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए श्रमिकों/कामगारों को वीटीसी (व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) अर्थात मूल प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करना।

3. सभी श्रमिकों/कामगारों को लागू सरकारी वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना।

4. कामगार बीमा प्रदान करके तथा भविष्य निधि एवं पेंशन आदि का अंशदान करके कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

***